

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-45 / 2023

व्यवसाय अनुदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

- श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक (Additive Manufacturing Technican-3D Printing) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुर्योग्य उम्मीदवारों (जो भारत के नागरिक हों) से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in पर दिनांक—19.09.2023 से 18.10.2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराये गये वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता एवं कोटिवार पदों की विवरणी निम्नलिखित रूप से हैं।

पदनाम	वेतनमान	योग्यता
व्यवसाय अनुदेशक (ADDITIVE MANUFACTURING TECHNICIAN-3D PRINTING)	वेतनमान— 9300—34800/- ग्रेड० पै०— 4200/- वेतन स्तर—६	(i) शैक्षणिक अहंता:— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से Mechanical Engineering/Industrial Engineering में 04 वर्षीय Engineering Degree (ii) अनुभव:— राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव। (iii) प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अहंता:— संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रूक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का एक वर्षीय प्रमाण—पत्र। अथवा (i) शैक्षणिक अहंता:— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से Mechanical Engineering/Industrial Engineering में 03 वर्षीय Engineering Diploma (ii) अनुभव:— राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव। (iii) प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अहंता:— संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रूक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का एक वर्षीय प्रमाण—पत्र।

नोट:—(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान है।

नोट:—(ii) वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अहंता नहीं रखते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे परन्तु यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें कार्यभार प्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर अपने व्यवसाय में CITS का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हों तो उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिये एक वर्ष और अनुमान्य किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर CITS प्रमाण—पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है, जिसके लिये संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। डिग्री/डिप्लोमाधारक जिन्होंने CITS ट्रेनिंग के पृथक Semester की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, इन्हें CITS ट्रेनिंग के द्वितीय Semester का ही प्रशिक्षण नियुक्ति के तीन वर्षों के अन्दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (iv) कार्यानुभव प्रमाण—पत्र हेतु परिशिष्ट—1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण—पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छुट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण—पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।
- (v) लिखित परीक्षा के उपरांत कंडिका—3(ii) में अंकित प्रावधानुसार अभ्यर्थियों का कोटिवार मेधासूची तैयार कर मेधाक्रमानुसार Counselling हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- (vi) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरांत Counselling के पूर्व पदों (व्यवसाय) के अधिमानता क्रम में Preference लिया जाएगा एवं उक्त Preference के आधार पर अंतिम मेधासूची तैयार कर, एक अभ्यर्थी की अनुशंसा केवल एक पद (व्यवसाय) हेतु भेजा जायेगा।
- 4. आरक्षण:-**
- (i) ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण—पत्र
 - (b) स्थायी निवास/ मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र
- (B) पिछङ्गा वर्ग एवं अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थी)
 - (b) स्थायी निवास/ मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र
- (C) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रामाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास/ मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र
- उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।
- नोट:-**(i) केवल जाति प्रमाण—पत्र के आधार पर पिछङ्गा एवं अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछङ्गा एवं अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- नोट:- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या—673, दिनांक—08.03.2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र (पिछङ्गा एवं अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—15760, दिनांक—02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
- नोट:- (iii) आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

आरक्षित कोटि

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (EBC)
4.	पिछङ्गा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)
6.	पिछङ्गे वर्गों की महिला (WBC)

कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अहंता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

10. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
11. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
12. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।
13. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। किन्तु इस संदर्भ में आयोग का निर्णय मान्य होगा।
14. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं—**
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही—सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

 - (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (vii) **फोटोग्राफः—** (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
 - (ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
 - (ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिचवायेंगे।
 - (घ) कंडिका 15(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
- नोट:- अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण—पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण—पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8u/14.9.2023
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

परिशिष्ट-I

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम:-.....

अनुभव प्रमाण-पत्र

ज्ञापांक:-..... दिनांक:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
..... पिता
..... पता

..... की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०-.....
दिनांक-..... द्वारा संविदा के आधार पर व्यवसाय अनुदेशक (**Additive
Manufacturing Techinician-3D Printing**) के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रम संसाधन विभाग के
अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन

..... (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम) में दिनांक-..... से

..... तक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।

इनका प्रतिमाह वेतन/मानदेय की दर से भुगतान
किया जाता है/था।

कार्यालय मुहर

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य

का पूरा नाम:-.....

राजकीय औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान का नाम:-.....

मुहर